

11/09/2025 परावली पेशी में ली जर्डी/सार्थी

सोहनलाल शर्मा ने विभाजन पुस्तक  
पर आपत्ति दर्ज कराते हुए  
पुनः विभाजन पुस्तक में गवर्ण  
जाने का निवेदन किया है।  
अधिवक्ता वारी द्वारा खतरा  
आपत्ति पर करते हुए मुलाबिक  
विभाजन पुस्तक के वाद पक्ष डिप्टी  
किये जाने का निवेदन किया है।  
प्राप्त विभाजन पुस्तक व नजरी  
नकशा का अवलोकन किया  
गया। तहसीलदार हनुमानगढ  
द्वारा प्रेषित विभाजन पुस्तक  
राजत्व मण्डल विधम 18 ता 2/1  
पालना में सिद्धवापा गया है  
जिसके अनुसार —

(क) प्रत्येक काश्तकार को आवंटित किये  
गये भाग का मूल्य उसी कीमत  
में होगा जितना कि उसका हिस्सा  
बूझि जोत में था।

(ख) संभवतः आवंटित भाग कॉम्पैक्ट होगा।

(ग) संभवतः विद्यमान क्षेत्रों को हिस्सों  
में नहीं बांटा जायेगा।

(घ) जहां तक संभव है। जोट जो  
कि झाराजी के अलग कट्टे  
में है। उनके आराजी को भी  
आवंटित कर दिये जायेंगे जब  
तक कि वे उनमें हिस्से से  
अधिक न हों। अतः तहसीलदार

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

इनुमानगढ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव  
उक्त नियमों के अनुरूप होने के कारण  
आपति प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता  
है तथा तहसीलदार इनुमानगढ द्वारा  
प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादपत्र  
डिहरी किया जाता है पर्या डिहरी  
अलग से जारी है पशावली नंबर  
के काम की जानक्य काबिल ६५७७  
की जाती है अदिय सुनाया गया।

10/12/20  
सहायक कलेक्टर  
प्रमं उपखण्डादि  
इनुमान